न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

पीठासीन अधिकारी- मुरलीधर प्रतिहार (आर.ए.एस.)

अपील संख्या– 2025/8

1. अब्दुल सलाम आत्मज स्व. मामराज जाति मुसलमान
2. मोहम्मद निजाम आत्मज मामराज जाति मुसलमान निवासीगण वार्ड नं. 9, ग्राम कैथून तहसील लाडपुरा कोटा

– अपीलांटगण

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लाडपुरा, जिला कोटा राज0।

–रेस्पोडेन्ट

उपस्थित वक्त बहस–1. श्री अतुल वशिष्ठ, अभिभाषक अपीलांट की ओर से ।
2. श्री पैरोकार सरकार, रेस्पोडेन्ट की ओर से।

निर्णय **दिनांक 17.06.2025**

1. अपीलांट द्वारा उक्त अपील अतंर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय सहायक कलेक्टर(मुख्यालय), कोटा जिला कोटा के प्रकरण संख्या 43/2015 मे पारित निर्णय व डिकी दिनांक 22.10.2024 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त मे इस प्रकार है कि वादीगण अपीलांट द्वारा एक वाद अंतर्गत धारा 88, 89, 92ए, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अधीनस्थ न्यायालय में पेश कर कथन किया कि वादीगण के संयुक्त कब्जे काश्त की आराजी खसरा नम्बर 1940 की रकबा 0.64 हैक्टर, खसरा नम्बर 1941 की रकबा 0.55 हैक्टर, खसरा नम्बर 2060 की रकबा 1.49 हैक्टर, खसरा नम्बर 2061 की रकबा 0.21 हैक्टर वाके ग्राम कैथून, पटवार क्षेत्र कैथून, तहसील लाड़पुरा, जिला कोटा में स्थित है, जिस पर वादीगण बहैसियत काश्तकार करीब 30–35 वर्षो से निरंतर काबिज चले आ रहे है और उक्त तथ्य की जानकारी प्रतिवादी को प्रारम्भ से ही है और आज भी वादीगण पूर्ववत् उक्त आराजी पर काबिज काश्त है। वादी क्रम–1 के कब्जे काश्त की आराजी खसरा नम्बर 1933 की रकबा 0.63 हैक्टर एवं वादी क्रम–2 के कब्जे काश्त की आराजी खसरा नम्बर 1934/2272 की रकबा 0.27 हैक्टर, खसरा नम्बर 1937 की रकबा 0.08 हैक्टर, खसरा नम्बर 1938 की रकबा 0.27 हैक्टर, खसरा नम्बर 1906 की रकबा 0.68 हैक्टर, खसरा नं0 1942/2266 रकबा 0.48 खसरा नं0–1903/2318 रकबा 0.10 हैक्टर

अपील संख्या 2025/8
अब्दुल सलाम बनाम सरकार

नम्बर 1942/2266 की रकबा 0.48 हैक्टर, खसरा नम्बर 1902/2218 की रकबा 0.19 हैक्टर वाके ग्राम कैथून, पटवार क्षेत्र कैथून, तहसील लाड़पुरा, जिला कोटा में स्थित है, जिस पर वादीगण बहैसियत काश्तकार करीब 30–35 वर्षो से निरंतर काबिज चले आ रहे है और उक्त तथ्य की जानकारी प्रतिवादी को प्रारम्भसे ही है और आज भी वादीगण पूर्ववत् उक्त आराजी पर काबिज काश्त है। वादीगण के स्वर्गीय पिता मामराज आत्मज श्री दिलावर खां, जाति मुसलमान के कब्जे काश्त की आराजी खसरा नम्बर 1223 की रकबा 44 बीघा वाके ग्राम कैथून, जिला कोटा में स्थित है। उक्त भूमि पर वादीगण के पिता का करीब 60–70 वर्षो से कब्जा चला आ रहा था। उक्त खसरा नम्बर 1223 की 44 बीघा भूमि में से 11 बीघा भूमि का आवंटन राज्य सरकार द्वारा वादीगण के पिता को पूर्व में ही किया जा चुका है। सेटलमेन्ट के उपरांत खसरा नम्बर 1223 के नये नम्बर 1937, 1938, 1940, 1941 व अन्य कायम किये गये है, जिन पर वादीगण का ही वर्तमान में कब्जा काश्त है। वादीगण भूमिहीन काश्तकार है और उनके पास अपना व अपने परिवार का गुजर बसर करने के लिये उक्त आराजी के अलावा अन्य कोई आराजी भी नहीं है और वह भूमिहीन कृषक की परिभाषा में आते है और प्रारम्भ से ही उक्त आराजी में काबिज काश्त होकर अपना जीवन–यापन कर रहे है, जिन्हें 30 वर्ष से भी अधिक समय व्यतीत हो चुका है और गत् 30 वर्षो से अधिक समय से निरंतर उक्त आराजी पर काबिज होकर काश्त करने के आधार पर वादीगण एडवर्स पजेशन के आधार पर उक्त भूमि अपनी खातेदारी में दर्ज करवाने के अधिकारी है। वादीगण उक्त आराजी पर निरंतर काबिज होने के आधार पर बाई ऑपरेशन ऑफ लॉ प्रतिवादी की जानकारी में निरंतर काबिज होने के आधार एवं एडवर्स पजेशन होने से उक्त वाद की मद नं0 1 व 2 में अंकित आराजी को सिवाय चक से हटाकर अपने खाते दर्ज करवाने एवं इन्द्राज दुरूस्ती करवाने की अधिकारी है क्योंकि एडवर्स पजेशन के आधार पर वादीगण को उक्त भूमि पर स्वतः ही कानूनी रूप से खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है। वादीगण गत् 30–35 वर्ष से लगातार उक्त भूमि पर काबिज काश्त है और लगान राज आदि अदा करते आ रहे है और वादीगण को धारा 91 एल.आर. एक्ट के नोटिस भी लगातार प्राप्त हो रहे है और वादीगण समय–समय पर 91 एल.आर. एक्ट के तहत जुर्माना राशि भी जमा करते आ रहे है तथा वादीगण को उक्त आराजी से राज्य सरकार एवं प्रशासन द्वारा पूर्व में कभी भी बेदखल नहीं किया गया है और न ही कोई बेदखली का नोटिस ही वादीगण को दिया गया है। इस कारण वादीगण के पुराने कब्जे की पुष्टि हो जाती है और पुराने कब्जे के आधार पर वादीगण उक्त भूमि को अपने खाते दर्ज करवाने के अधिकारी है। माननीय राज्य सरकार द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों के आधार पर 12 वर्ष से अधिक कब्जे के बाद एडवर्स पजेशन लागू हो जाता है और राज्य सरकार के विरूद्ध 30 वर्ष के बाद एडवर्स पजेशन लागू हो

जाता है और वादीगण को दोनों विधि अनुसार उक्त भूमि पर एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है इसलिये वादीगण उक्त भूमि को अपनी खातेदारी में दर्ज करवाने एवं इंद्राज दुरूस्ती करवाने के अधिकारी है। वादीगण ने राजस्व अभियान के दौरान प्रतिवादी एवं सम्बन्धित अधिकारियों से आराजी नियमन व आवंटन हेतु पूर्व में आवेदन प्रस्तुत किये हुये है, किंतु उन पर आज तक कोई भी कार्यवाही नहीं की गई है, जबकि वादीगण आवंटन और नियमन की सम्पूर्ण पात्रता कानूनी रूप से रखते है, किंतु इतने पुराने कब्जे के बावजूद भी प्रतिवादी द्वारा उक्त भूमि को वादीगण को नियमन व आवंटन नहीं करने और खातेदारी नहीं दिये जाने के फलस्वरूप वादीगण के लिये यह वाद लाना आवश्यक हो गया है।प्रतिवादी उक्त भूमि पर वादीगण को खातेदारी अधिकार नहीं देकर मनमाने तौर पर उक्त आराजी को बाला–बाला अन्य संस्थाओं व व्यक्तियों को आवंटन करने पर उतारू है और दिनांक 01.06.2015 को तहसीलदार साहब एवं आवंटन अधिकारी के यहां प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करने पर भी उन्होनें उक्त आराजी वादीगण को आवंटन व नियमन करने से इंकार करते हुये शीघ्र ही उक्त भूमि अन्य व्यक्तियों व संस्था को आवंटन करने की धमकी दी और वादीगण की कोई भी बात मानने से स्पष्ट इंकार कर दिया। अतः वादीगण को अपने हितों की रक्षार्थ यह वाद पेश करना आवश्यक हो गया है, तदर्थ यह वाद पेश है। स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार लेण्ड होल्डर के नाते आवश्यक पक्षकार है, जिसके विरूद्ध वाद पेश करने से पूर्व धारा 80 सीपीसी का नोटिस मियादी दो माह का प्रेषित किया जाना आवश्यक है, किंतु वाद अरजेन्ट नेचर का होने से यदि नोटिस दिया जाकर दो माह का इंतजार किया गया तो प्रतिवादी किसी अन्य व्यक्ति या संस्था को उक्त भूमि आवंटित व नियमन कर देगा, जिससे वादीगण का वाद पेश करने का मकसद समाप्त हो जायेगा। अतः नोटिस दिया जाना सम्भव नहीं है इसलिये पृथक से आवेदन अंतर्गत धारा 80 (2) सीपीसी के तहत अनुमति हेतु पेश किया गया है। प्रस्तुत वाद का वाद कारण वादीगण द्वारा वाद–पत्र की मद नं० 1 व 2 में वर्णित भूमि पर करीब 30–35 वर्षों तक निरंतर प्रतिवादी की जानकारी में काबिज चले आने और तदुपरांत पुराने कब्जे व एडवर्स पजेशन के आधार पर आराजी पर खातेदारी अधिकार देने एवं आवंटन व नियमन करने की प्रार्थना के बावजूद प्रतिवादी द्वारा कोई कार्यवाही नहीं करने और फिर दिनांक 01.06.2015 को वादीगण के आवेदन के बावजूद वादीगण को भूमि पर खातेदारी अधिकार प्रदान करने से इंकार करते हुये शीघ्र ही उक्त आराजी को आवंटन व नियमन करने की धमकी देने और वादीगण की कोई भी बात मानने से स्पष्ट रूप इंकार करने पर माननीय न्यायालय के न्याय क्षेत्र में उत्पन्न हुआ है। अतः वाद–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादीगण के पक्ष में तथा प्रतिवादी के विरूद्ध निम्न आशय की डिक्री सादर पारित फरमायी जावे कि वाद–पत्र की मद नं0 1 में वर्णित

अपील संख्या 2025/8

अब्दुल सलाम बनाम सरकार

आराजी खसरा नम्बर 1940 की रकबा 0.64 हैक्टर, खसरा नम्बर 1941 की रकबा 0.55 हैक्टर, खसरा नम्बर 2060 की रकबा 1.49 हैक्टर, खसरा नम्बर 2061 की रकबा 0.21 हैक्टर वाके ग्राम कैथून, पटवार क्षेत्र कैथून, तहसील लाड़पुरा, जिला कोटा स्थित का वादीगण को लगातार करीब 30–35 वर्षों से निरंतर प्रतिवादी की जानकारी में काबिज होने के आधार पर पुराने कब्जे व एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदार घोषित करते हुये उक्त आराजी को सिवाय चक से हटाकर वादीगण के खाते में राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जावे और इसी अनुरूप रिकॉर्ड में दुरूस्ती व अमल दरामद किया जावे। वाद–पत्र की मद नं0 2 में वर्णित आराजी वादी क्रम–1 के कब्जे काश्त के खसरा नम्बर 1933 की रकबा 0.63 हैक्टर का वादी क्रम–1 के लगातार करीब 30–35 वर्षो से निरंतर प्रतिवादी की जानकारी में काबिज होने के आधार पर पुराने कब्जे व एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदार घोषित करते हुये उक्त आराजी को सिवाय चक से हटाकर वादी क्रम–1 के खाते में राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जावे और इसी अनुरूप रिकॉर्ड में दुरूस्ती व अमल दरामद किया जावे तथा वादी क्रम–2 के कब्जे काश्त की आराजी खसरा नम्बर 1934/2272 की रकबा 0.27 हैक्टर, खसरा नम्बर 1937 की रकबा 0.08 हैक्टर, खसरा नम्बर 1938 की रकबा 0.27 हैक्टर, खसरा नम्बर 1906 की रकबा 0.68 हैक्टर, खसरा नम्बर 1942/2266 की रकबा 0.48 हैक्टर, खसरा नम्बर 1902/2218 की रकबा 0.19 हैक्टर वाके ग्राम कैथून, पटवार क्षेत्र कैथून, तहसील लाड़पुरा, जिला कोटा स्थित का वादी क्रम–2 को लगातार करीब 30–35 वर्षों से निरंतर प्रतिवादी की जानकारी में काबिज होने के आधार पर पुराने कब्जे व एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदार घोषित करते हुये उक्त आराजी को सिवाय चक से हटाकर वादी क्रम–2 के खाते में राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जावे और इसी अनुरूप रिकॉर्ड में दुरूस्ती व अमल दरामद किया जावे। प्रतिवादी के विरूद्ध इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे कि वाद–पत्र की मद नं0 1 व 2 में वर्णित आराजी खसरा नम्बर 1940 की रकबा 0.64 हैक्टर, खसरा नम्बर 1941 की रकबा 0.55 हैक्टर, खसरा नम्बर 2060 की रकबा 1.49 हैक्टर, खसरा नम्बर 2061 की रकबा 0.21 हैक्टर वाके ग्राम कैथून, पटवार क्षेत्र कैथून, तहसील लाड़पुरा, जिला कोटा एवं खसरा नम्बर 1933 की रकबा 0.63 हैक्टर तथा खसरा नम्बर 1934/2272 की रकबा 0.27 हैक्टर, खसरा नम्बर 1937 की रकबा 0.08 हैक्टर, खसरा नम्बर 1938 की रकबा 0.27 हैक्टर, खसरा नम्बर 1906 की रकबा 0.68 हैक्टर, खसरा नम्बर 1942/2266 की रकबा 0.48 हैक्टर, खसरा नम्बर 1902/2218 की रकबा 0.19 हैक्टर वाके ग्राम कैथून, पटवार क्षेत्र कैथून, तहसील लाड़पुरा, जिला कोटा जिस पर वादीगण निरंतर प्रतिवादी की जानकारी में काबिज काश्त चले आ रहे है, उक्त भूमि या उसके किसी भाग को प्रतिवादी अवैध व गैर कानूनी तरीके से किसी अन्य व्यक्ति अथवा

किसी संस्था को आवंटन अथवा नियमन नहीं करें और ना ही उक्त भूमि अथवा उसके किसी भाग से वादीगण को ताकत के बल पर बेदखल करे और न ही वादीगण के शांति पूर्ण कब्जे काश्त में मजाहमत व मदाखलत करें। ऐसा कार्य ना तो प्रतिवादी स्वयं करें और ना ही प्रतिनिधि व एजेन्टों से करावे। वाद व्यय वादीगण को प्रतिवादी से दिलवाया जावे तथा अन्य न्यायोचित सहायता जो हो वह वादीगण को प्रदान की जावे।

3. उक्त आशय का वादपत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 22.10.2024 को वादीगण अपीलांटगण की ओर से प्रस्तुत वादपत्र खारिज किए जाने की निर्णय व डिक्री पारित की।

4. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक से व्यथित होकर अपीलान्टगण ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 22.10.2024 को खारिज फरमाया जावे ।

5. अपीलांट की ओर से अपील मियाद बाहर पेश की गई। अपील के साथ प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम प्रस्तुत किया गया। अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील सब्जेक्ट–टू–लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना में रेस्पोडेन्ट की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित हुए। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई। उभयपक्षकारान के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

6. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपील के साथ प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि .योग्य अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक–22.10.2024 की अपीलान्ट को कभी कोई जानकारी नही हुई, क्योकि अपीलान्ट के अधिवक्ता द्वारा अपीलान्ट को हर तारीख पेशी पर उपस्थित होने के लिये मना किया गया था। इसलिये अपीलान्ट योग्य अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित नही हुई। दिनांक–27.11.2024 को अपीलान्ट द्वारा अपने अधिवक्ता से सम्पर्क कर प्रकरण की जानकारी चाही तो अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि आप द्वारा प्रस्तुत वाद दिनांक–22.10.2024 को खारिज फरमा दिया गया है जिस पर तुरन्त अपीलान्ट द्वारा निर्णय की नकल प्रस्तुत की गई और दिनांक – 04.12.2024 को नकल प्राप्त होते ही उक्त अपील प्रस्तुत

की जा रही है। योग्य अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक–22.10.2024 की सर्वप्रथम जानकारी अपीलान्टगण को दिनांक–27.11.2024 को होने पर तथा नकल दिनांक–04.12. 2024 को प्राप्त होने की अवधि को मुजरा करते हुये अपील श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत की जा रही है इसलिए देरी की मियाद को माफ किया जाना न्यायोचित है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील के प्रस्तुत करने में हुई देरी को माफ किया जाकर अपील को अवधि मध्य माने जाने के आदेश प्रदान करे। अन्त में प्रार्थी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब की अवधि को क्षमा किए जाने तथा अपील अंदर मियाद शुमार किए जाने का निवेदन किया।

7. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस मे अपील मेमो मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि निर्णय योग्य अधीनस्थ न्यायालय न्याय संचिका के सिद्धी प्राप्त तथ्यो के सर्वथा विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य हैं। योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्टगण का आराजी पर एडवर्स पजेशन के आधार पर कब्जा ना मानते हुये वाद पत्र खारिज किये जाने में कानूनी त्रुटि की है इसलिये दिया गया निर्णय व डिक्री काबिल निरस्तनीय है। योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस तथ्य पर गौर किये बिना कि उक्त विवाद ग्रस्त आराजी पर अपीलान्टगण का करीब 30–35 वर्षों से कब्जा काश्त चला आ रहा है और अपीलान्ट्स द्वारा योग्य अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष कब्जे से सम्बन्धित सभी दस्तावेज एवं स्वयं की साक्ष्य प्रस्तुत कर वाद को स्वयं के पक्ष में प्रमाणित कर दिया था लेकिन अपीलान्ट्स वादीगण की साक्ष्य एवं प्रस्तुत दस्तावेजो पर गौर किये बिना दिया गया निर्णय व डिक्री काबिल निरस्तनीय हैं। योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस तथ्य पर गौर किये बिना कि अपीलान्टगण एक भूमिहीन व्यक्ति है और उनके पास गुजर–बसर करने का इन आराजी के अलावा कोई साधन नही है और कानूनन एडवर्स पजेशन के आधार पर अपीलान्टगण उक्त भूमि को न्यायालय से खातेदार के रूप में अपने नाम दर्ज कराने की कानूनन अधिकारी है। उक्त आराजी से कभी भी अपीलान्ट्स को बेदखल नही किया गया है तथा अपीलान्टगण द्वारा समय समय पर आराजी की जुर्माना राशि भी सरकार को जमा कराई गई है। इन सभी तथ्यो पर गौर किये बिना जो निर्णय व डिक्री योग्य अधीनस्थ ने पारित किया है वह काबिल निरस्तनीय है। अन्त में अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक–22.10.2024 को निरस्त किए जाने का निवेदन किया। साथ ही रेस्पोडेन्ट को इस आशय की निषेधाज्ञा से पाबन्द किए जाने का निवेदन किया कि अपीलान्टगण के कब्जेकाश्त की आराजी खसरा नं0–1940 रकबा 0.64, खसरा नं0–1941 रकबा 0.55, खसरा नं0–2060 रकबा 1.49, खसरा नं0–2061 रकबा 0.21 हैक्टेयर वाके–ग्राम कैथून तहसील लाडपुरा जिला कोटा राजस्थान में स्थित है, साथ ही अपीलान्ट कम–1 के कब्जे काश्त की आराजी खसरा नं0–1933 रकबा 0.63 एवं अपीलान्ट कम–2 के कब्जे काश्त की आराजी खसरा नं0–1934/2272 रकबा 0.27, खसरा नं0–1937 रकबा 0.08, खसरा नं0–1938 रकबा 0.

27, खसरा नं0–1906 रकबा 0.68, खसरा नं0–1942/2266 रकबा–0.48, खसरा नं0–1902/2218 रकबा 0.19, हैक्टेयर वाके–ग्राम कैथून में स्थित है पर अपीलान्ट के निरन्तर कब्जे काश्त में किसी भी प्रकार की कोई बाधा व अवरोध उत्पन्न नही करे और नाही अपीलान्टाकी कब्जेकाश्त की आराजी में कोई मजाहामत व मजाखलत करे और ना ही अपीलान्ट को उक्त आराजी से बेदखल करे।

8. विद्वान पैरोकार सरकार रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में निवेदन किया कि अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत वाद में वादग्रस्त आराजी पर एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदारी घोषणा का अनुतोष चाहा गया है। वादग्रस्त आराजी ग्राम कैथून तहसील लाडपुरा की खाता संख्या 1 में दर्ज है तथा सिवायचक दर्ज रिकॉर्ड है। अतः वादग्रस्त आराजी अपीलांटगण के खाते की भूमि नहीं होकर सरकारी सिवायचक भूमि है। अपीलांट का कब्जा अवैध एवं अतिक्रमण की श्रेणी का है। वादग्रस्त आराजी में अपीलांटगण को भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत बेदखल किए जाने की कार्यवाही की गई है। अपीलांटगण का वादग्रस्त आराजी पर निरन्तर कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा है। तहसीलदार लाडपुरा द्वारा अपीलांट को समय समय पर नाटिस जारी किए गए है। अपीलांट का कोई एडवर्स पजेशन नहीं है। अपीलांटगण द्वारा वादग्रस्त भूमि के सम्बंध में एडवर्स पजेशन के आधार पर घोषणा का अनुतोष चाहा गया है जो कानूनन प्रदान किया जाना संभव नहीं है। अपीलांटगण ने स्वयं अधीनस्थ न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया है तथा प्रकरण के प्रत्येक तथ्य की अपीलांटगण को प्रारंभ से ही जानकारी रही है। इसके बावजूद भी अपीलांटगण ने न्यायालय हाजा में मियाद बाहर अपील पेश की है। अपील पेश किए जाने में हुए विलम्ब का कोई पर्याप्त कारण भी अपीलांटगण ने अपने प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम में अंकित नहीं किया है। अपीलांटगण ने अपने प्रार्थना–पत्र मे झूठे व मनगढ़न्त कथन अंकित किए है अतः अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार योग्य नहीं है। अपीलांटगण की ओर से प्रस्तुत अपील मियाद के बिन्दु पर भी खारिज किए जाने योग्य है। अन्त में अपील अपीलांट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 22.10.2024 यथावत रखे जाने का निवेदन किया।

9. हमने उभयपक्षकारान के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। न्यायालय हाजा व अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों व राजस्व रिकॉर्ड का गहनता से अवलोकन किया।

सर्वप्रथम प्रार्थीगण अपीलांटगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का निस्तारण किया जाना उचित होगा। हमने प्रार्थीगण अपीलांटगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का अवलोकन किया। उभयपक्षकारान के विद्वान अधिवक्ताओं की मियाद के बिन्दु पर की गई बहस पर मनन

किया। अपीलांटगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम में अंकित कथन विश्वसनीय प्रतीत होते है अतः न्यायहित में प्रार्थीगण अपीलांटगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। प्रार्थीगण अपीलांटगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है। अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब की अवधि को क्षमा किया जाता है तथा अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है।

अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत प्रश्नगत वाद एवं अपील में वादग्रस्त भूमि पर स्वयं को 35 वर्षो से काबिज काश्त होना बताकर एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदारी घोषणा का अनुतोष चाहा गया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न जमाबंदी सम्वत् 2069 ये 2072 के अनुसार वादग्रस्त भूमि वाके ग्राम कैथून की खाता संख्या 1 में दर्ज रिकॉर्ड होकर सिवायचक दर्ज रिकॉर्ड है। खसरा परिवर्तित निर्धारण तथा गैर मुस्तकिल काश्त सम्वत् 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069 में काश्तकार के कॉलम संख्या 3 में अब्दुल सलाम, निजाम S/O मामराज दर्ज रिकॉर्ड है तथा फसल क्रे नाम के कॉलम संख्या 4 में फसल का नाम अंकित है। अपीलांटगण का कथन है कि वह वादग्रस्त आराजी पर निरन्तर 35 वर्षो से काबिज काश्त है परन्तु अपीलांटगण द्वारा स्वयं के कब्जा काश्त होने के समर्थन में प्रस्तुत नकल खसरा परिवर्तित निर्धारण तथा गैर मुस्तकिल काश्त कुछ वर्षो (सम्वत् 2058 लगायत 2069) के ही प्रस्तुत किए गए है। अपीलांट द्वारा पिछले 35 वर्षो से निरन्तर कब्जा काश्त होने के समर्थन में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत जारी नोटिस दिनांक 01.07.1995, 23.06.2000, 22.03.2006, 06.03.2006, 06.09.2007, 20.10.2008, 01.06.2009, 10.09.2010, 14.03.2012, 15.03.2012, 06.02.2015 संलग्न है। उक्त नोटिस के अवलोकन से अपीलांटगण का तथाकथित कब्जा अतिकमी की हैसियत का होना प्रकट होता है। अपीलांटगण के विरूद्ध समय–समय पर वादग्रस्त आराजी के सम्बंध में धारा 91 एल.आर.एक्ट. के तहत कार्यवाही की जाती रही है तथा अपीलांटगण को बेदखल किया गया है। अतः अपीलांट का यह कथन सही नहीं है कि अपीलांटगण वादग्रस्त भूमि पर निरन्तर पिछले 35 वर्षो से काबिज होकर काश्त कर रहा है। वर्तमान में वादग्रस्त आराजी का वास्तविक मालिक एवं स्वामि अपीलांटगण नहीं होकर राज्य सरकार है तथा रेस्पोडेन्ट राज्य सरकार द्वारा अपीलांटगण को वादग्रस्त आराजी से बेदखल किया जाता रहा है तथा अपीलांटगण से समय समय पर राजस्थान भू– राजस्व अधिनियम की धारा 91 के तहत नोटिस जारी कर जुमाना राशि वसूली की जाती रही है। अतः ऐसी स्थिति में अपीलांटगण का वादग्रस्त आराजी पर एडवर्स पजेशन होना प्रमाणित

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी कोटा

नहीं होता है। अपीलांटगण ने वादग्रस्त भूमि पर स्वयं को 35 वर्षों से निरन्तर कब्जा काश्त होना बताकर एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदारी घोषणा का अनुतोष चाहा है परन्तु अपीलांटगण ना तो वादग्रस्त भूमि पर स्वयं का निरन्तर पिछले 35 वर्षों से कब्जा काश्त होना प्रमाणित करने में सफल रहे है और ना ही वर्तमान विधि के अनुसार एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदान किए जा सकते है। एडवर्स पजेशन के सम्बंध माननीय राजस्व मण्डल के न्यायिक दृष्टांत 2015 डी.एन.जे. 2015 पेज 224 एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा न्यायिक दृष्टांत 2018(3)डब्ल्यु.एल.एन पेज 114 प्रतिपादित किए गए है जिनके अनुसार एडवर्स पजेशन के आधार पर वाद पोषणीय नहीं होना माना गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने भी अपने निर्णय दिनांक 22.10.2024 में एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदान किया जाना कानूनी रूप से पोषणीय नहीं होना मानकर वाद खारिज किए जाने का आदेश अंकित किया है जिससे हम सहमत है। हमारे मत में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 22.10.2024 विधि सम्मत है तथा इसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज किए जाने योग्य है।

10. उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय सहायक कलक्टर मुख्यालय कोटा, जिला कोटा के प्रकरण संख्या 43/2015 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 22.10.2024 यथावत रखी जाती है।

11. पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की सत्यप्रति के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु अविलंब लौटाई जाए।

12. निर्णय आज दिनांक 17.06.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

17/6/25

(मुरलीधर प्रतिहार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा

Judl/Govt.
Part 1V - B

अपील में डिक्री
(आदेश 41 रूल 35, जाप्ता दीवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
बइजलास मुरलीधर प्रतिहार, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 2025/8

1. अब्दुल सलाम आत्मज स्व. मामराज जाति मुसलमान
2. मोहम्मद निजाम आत्मज मामराज जाति मुसलमान निवासीगण वार्ड नं. 9, ग्राम कैथून तहसील लाडपुरा कोटा

बनाम — **अपीलांटगण**

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लाडपुरा, कोटा जिला कोटा राज0।

—रेस्पोडेन्ट

वाद संख्याः 43/2015

1. अब्दुल सलाम आत्मज स्व. मामराज
2. मोहम्मद निजाम आत्मज मामराज
   जाति मुसलमान निवासीगण वार्ड नं. 9, ग्राम कैथून तहसील लाडपुरा कोटा

—वादीगण

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार , तहसील लाडपुरा, जिला कोटा राज0।

——प्रतिवादी

अपील का ज्ञापन

1. **उक्त अपीलार्थी उपर्युक्त वाद संख्या 43/2013 में न्यायालय उपखण्ड सहायक कलेक्टर(मुख्यालय) कोटा, जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 22.10.2024 की अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात** कि अधीनस्थ

न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है। अतः उक्त अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे ।

2. उक्त अपील तारीख 17.06.2025 को बहाजरी अपीलान्ट की ओर से विद्वान् अभिभाषक श्री अतुल वशिष्ठ, रेस्पोडेन्ट की ओर से पैरोकार सरकार के उपस्थित होने पर यह आदेश दिया जाता है कि अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर (मुख्यालय) कोटा, जिला कोटा के प्रकरण संख्या 43/2015 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 22.10.2024 बहाल रखी जाती है ।

3. इस अपील के खर्चे एवं मूल वाद के खर्चे पक्षकारान द्वारा स्वयं वहन किये जाने है।

4. यह डिक्री आज तारीख 17.06.2025 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई।

मुहर

17/6/25

(मुरलीधर प्रतिहार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा